Annexure - XVI

डा. आर. एस. टोलिया
मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तरांचल सूचना आयोग
फोन : (0135) 2712079 (नि.)
फैक्स :
ई–मेल : rs_tolia@rediffmail.com

अ.शा. पत्रांक : 21 / मु.सू.आ. / 2005
दिनांक : नवम्बर 17, 2005

प्रिय श्री रामचन्द्रन,

राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में मुझे पदभार ग्रहण किये हुये आज एक माह का समय हो गया है. उत्तरांचल सूचना आयोग को भारी संख्या में संदर्भ व पत्राचार मिलने प्रारंभ हो गये हैं जो कि वर्तमान में मेरे निवास स्थान पर प्रेषित किये जा रहे हैं तथा मेरे निवास स्थान से ही इन संदर्भों तथा पत्रों का निस्तारण किया जा रहा है. आप सहमत होंगे कि उपरोक्त व्यवस्था अधिक समय तक जारी नहीं रखी जा सकती क्योंकि शीघ्र ही आयोग को द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का निस्तारण करना पड़ेगा, जिसे आयोग के कार्यालय से ही निस्तारित किया जाना उचित होगा.

2. आयोग की विभिन्न व्यवस्थाओं का प्रकरण वर्तमान में सूचना विभाग द्वारा ही निस्तारित किया जा रहा है. सूचना विभाग इस माह में राज्य स्थापना दिवस तथा नई दिल्ली में अवस्थित कार्यक्रमों के आयोजन में व्यस्त रहा, जिस कारण सूचना विभाग को आयोग के भवन तथा अन्य व्यवस्थाओं पर अपेक्षित गति से कार्यवाही करना संभव नहीं हो सका.

3. आयोग अपने को दिये गये उत्तरदायित्वों का अपेक्षित तत्पर्ता से निष्पादित कर सके, इस हेतु कृपया निम्न व्यवस्थाओं को तात्कालिक प्रभाव से प्रारंभ किये जाने के संबंध में निर्देश जारी करने का कष्ट करें :

3.1 आयोग के भवन तथा अन्य व्यवस्थाओं के पूर्ण होने तक एक पूर्णकालिक अपर सचिव / उप सचिव स्तर के अधिकारी को उत्तरदायित्व दिया जाये जो मुख्य सूचना आयुक्त से संपर्क कर समस्त संदर्भों एवं पत्रों का तत्पर्ता से निस्तारण कर सके.

3.2 आयोग के भवन के संबंध में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त के अनुमोदन के उपरांत निर्धारण

3.3 प्रारंभिक आवश्यकता के अनुरूप आयोग के स्टाफ संबंधी शासनादेश को निर्गत करना तथा आयोग के लिए स्वीकार्य बजट धनराशि को आयोग के निवर्तन पर रखना.

4. आयोग का कार्य तब तक पूर्ण रूप से गतिमान नहीं हो सकता जब तक कि उसे एक पूर्णकालिक सचिव स्तर का अधिकारी न मिले. अतः वर्तमान में राज्य सरकार के स्तर पर सचिव स्तर के अधिकारियों की न्यून संख्या को देखते हुये अपर सचिव स्तर के अधिकारियों में से जो अधिकारी वरिष्ठतम तथा इच्छुक हों, उन्हें आयोग के सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति में भेजना उपयुक्त होगा.

5. आयोग के गठन के संबंध में जारी किये गये आदेश को एक माह से अधिक का समय तथा स्वयं मुझे पदभार ग्रहण कर एक माह व्यतीत हो चुका है, अतः इससे पूर्व कि यह विषय किसी आलोचना का प्रश्न बने, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि उपरोक्त समस्त बिंदुओं पर सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर उनके संबंध में यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करेंगे.

6. मुझे प्रसन्नता होगी यदि कृत कार्यवाही से आप मुझे भी अवगत करा दें.

पुनश्चः इस बीच मेरे द्वारा अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में अध्ययन किया जा रहा है तथा प्रथम दृष्टयाः ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन को कार्य आवंटन नियमावली के अंतर्गत

प्रशासकीय सुधार विभाग के अंतर्गत रखा जाना उपयुक्त रहता. किंतु चूंकि राज्य में प्रशासकीय सुधार विभाग गठित नहीं हुआ है, अतः इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण अथवा सचिवालय प्रशासन विभाग को आवंटित किये जाने के संबंध में अपने स्तर पर विचार करने का कष्ट करें. भारत सरकार में भी इसे कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग व्यवहृत कर रहा है.

भवनिष्ठ

(आर. एस. टोलिया)

श्री एम. रामचन्द्रन
मुख्य सचिव
उत्तरांचल शासन

प्रतिलिपि :

प्रिय महोदय,

मै उपरोक्त पत्र की प्रति आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर रहा हूं. अधिनियम के क्रियान्वयन के कार्य को उत्तरांचल कार्य आवंटन नियमावली के अंतर्गत किस विभाग के द्वारा देखा जायेगा, इस पर आप भी अपने एवं सचिवालय प्रशासन विभाग के स्तर पर परीक्षण करना चाहें. भारत सरकार में भी इसे कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग व्यवहृत कर रहा है.

भवनिष्ठ

(आर. एस. टोलिया)
मुख्य सूचना आयुक्त

श्री डी. के. कोटिया
सचिव सूचना
उत्तरांचल शासन